

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल : mdrmisc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067

Website: www.rmhc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2023-24/2833

दिनांक : 21/02/2024

आदेश

M/s Scott Edil Pharmacia Ltd., 56, E.P.I.P, Phase-I, Jharmajri-173205 से निविदा क्रमांक F.02(270)/RMSCL/Proc./Drug/NIB-12/2019/1027 दिनांक 18.09.2019 के तहत औषधि Metformin Hcl (Sustained Release) And Glimepiride Tab Metformin Hcl (Sustained Release) 500mg ,Glimepiride 1mg[454] की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक - 403 दिनांक 05.05.2020 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में सप्लाई की गयी औषधि का Testing हेतु राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा जाँच किये जाने पर औषधि के बैच (GT0I048) को Assay व Dissolution test में फेल होने के कारण अमानक कोटि का पाया गया। इस संबंध में निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया।

राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला से उक्त बैच (GT0I048) की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 25.01.2024 में रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया। राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ने औषधि के एक बैच (GT0I048) को अमानक कोटि का घोषित किया है। फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन के तहत Not of Standard Quality (Grossly Substandard) की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबंधी दिशा-निर्देश (Guidelines for Blacklisting/Debaring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMHC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.6(1) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंसा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Scott Edil Pharmacia Ltd., 56, E.P.I.P, Phase-I, Jharmajri-173205 की औषधि Metformin Hcl (Sustained Release) And Glimepiride Tab Metformin Hcl (Sustained Release) 500mg ,Glimepiride 1mg[454] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

नेहा गिरि

आई.ए.एस

प्रमुख निदेशक

Signature valid

RajKaj Ref
5586232Digitally signed by Neha Giri
Designation: Managing Director
Date: 2024.02.21 17:47:17 IST
Reason: Approval

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2023-24/2833 दिनांक : 21/02/2024
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, पी.एच./आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू. चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
6. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/हिमाचल प्रदेश।
7. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
8. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
9. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं अति.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
10. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
11. M/s Scott Edil Pharmacia Ltd., 56, E.P.I.P, Phase-I, Jharmajri-173205
12. आदेश पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक

Signature valid

RajKaj Ref
5586232

Digitally signed by Neha Giri
Designation: Managing Director
Date: 2024.02.21 17:47:17 IST
Reason: Approved